प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड ग्वालियर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), MADHYA PRADESH, GWALIOR

क्र.प्रशासन-XI/समूह-I/फा-/स्थानांतरण एवं पदस्थापना/का.आ./114
दिनांक:20-11-2024

OFFICE ORDER-114

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर के संवर्ग नियंत्रणाधीन वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा समूह बी एवं सी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशासन-XI/समूह-I/F-/स्थानांतरण एवं पदस्थापना/264 दिनांक 27.01.2014 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं-
In supersession of earlier issued Office Order No. Admin-XI/Gr-I/F-/Transfer & Posting/264 dated 27.01.2014 regarding transfer and posting of Senior Audit Officers and Group B & C officers/officials under the cadre control of Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Gwalior, following guidelines are issued-

I. निम्नानुसार गठित स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर के संवर्ग नियंत्रणाधीन पदस्थ वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा समूह बी एवं सी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना की अनुशंसा करेंगे ।
I. Transfer and Posting Boards, constituted as under, will recommend the transfer and posting of Senior Audit Officers and Group B & C officers/officials posted under the cadre control of Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Gwalior.

Composition of Boards/बोर्ड्स का संघटन

II. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा समूह बी एवं सी अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतर्कार्यालयीन स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु अनुशंसा करने वाले स्थानांतरण एवं

पदस्थापना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:-
For recommending inter-office transfer and posting of Senior Audit Officers and Group B & C officers/officials, the Transfer and Posting Board will consist of the following members:-

(क) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी-V एवं प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
(ख) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (प्रशासन), महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वतीय) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
(ग) निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन), महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) का कार्यालय, नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर।
a. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (AMG-V & Administration), O/o Principal Accountant General (Audit-1) Madhya Pradesh, Gwalior.
b. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (Administration), O/o Accountant General (Audit-II) Madhya Pradesh, Bhopal.
c. Director/Deputy Director (Administration), O/o The Director General of Audit (Central Receipt) New Delhi, Branch office at Gwalior.

उपर्युक्त में से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होंगे। बोर्ड की अनुशंसाओं के स्वीकृति प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर होंगे।
The senior most officer among the above will be the Chairperson. The accepting authority regarding the recommendations of the board will be the Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Gwalior.

III. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में पदस्थ वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा समूह बी (राजपत्रित) अधिकारियों के अंतरा-कार्यालयीन स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु अनुशंसा करने वाले स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:-
For recommending intra-office transfer and posting of Senior Audit Officers and Group B (Gazetted) officers posted in O/o Principal

Accountant General (Audit-1) Madhya Pradesh, Gwalior, the Transfer and Posting Board will consist of following members:-

(क) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी-V एवं प्रशासन) ।

(ख) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी-III) ।

(ग) प्रशासन शाखा के प्रभारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ।

a. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (AMG-V & Administration).

b. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General (AMG-III).

c. Senior Audit Officer in charge of Administration Branch.

उपर्युक्त दोनों समूह अधिकारियों में से वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे। बोर्ड की अनुशंसाओं के स्वीकृति प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर होंगे। The senior of the two Group Officers will be the Chairperson. The accepting authority regarding the recommendations of the board will be the Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Gwalior.

IV. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में पदस्थ समूह बी (अराजपत्रित) एवं समूह सी कर्मचारियों के अंतरा-कार्यालयीन स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु अनुशंसा करने वाले स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:-

For recommending intra-office transfer and posting of Group B (Non-Gazetted) and Group C officials posted in O/o Principal Accountant General (Audit-1) Madhya Pradesh, Gwalior, the Transfer and Posting Board will consist of following members:-

(क) प्रशासन शाखा के प्रभारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(ख) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-III (मुख्यालय)

(ग) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-II (मुख्यालय)

a. Senior Audit Officer in charge of Administration Branch

b. Senior Audit Officer/AMG-III (HQ)

c. Senior Audit Officer/AMG-II (HQ)

उपर्युक्त में से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होंगे। बोर्ड की अनुशंसाओं के स्वीकृति प्राधिकारी वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी-V एवं प्रशासन) होंगे।
The senior most officer among the above will be the Chairperson. The accepting authority regarding the recommendations of the board will be the Sr. Deputy Accountant General/ Deputy Accountant General (AMG-V & Admin).

V. साधारणतया समूह बी एवं सी कार्मिकों को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले किसी समूह से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम अवधि पूर्ण होने से पहले किसी कार्मिक के स्थानांतरण की अनुशंसा जनहित में की जा सकती है, लेकिन इसके कारण सम्बंधित बोर्ड द्वारा अभिलेखित किए जाएंगे।

The Group B and C staff shall not ordinarily be transferred from a particular Group before the lapse of minimum period of two years. Transfer of any official before completion of minimum period may be recommended in public interest but the reasons will be recorded by the concerned Board.

उक्त बोर्ड अनुशंसा निकाय होंगे एवं उनकी अनुशंसायें अंतिम आदेशों के लिए स्वीकारकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी।
The Boards will be recommendary bodies and their recommendations will be placed before the accepting authority for final orders.

(प्राधिकार:- महालेखाकार महोदया के आदेश से जारी)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

क्र.प्रशासन-XI/समूह-I/फा-/स्थानांतरण एवं पदस्थापना/का.आा./114
दिनांक:20-11-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ग्वालियर।

2. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।

3. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), म.प्र., भोपाल।

4. उप महालेखाकार/ए.एम.जी-I, II, III, IV, V एवं प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।

5. उप निदेशक/केंद्रीय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) का कार्यालय, नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर

6. उप महालेखाकार/प्रशासन, महालेखाकार (लेखापरीक्षा- द्वितीय) का कार्यालय, म.प्र., भोपाल

7. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर |

8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन। 12, गोपनीय कक्ष, रिपोर्ट-I एवं II, रिपोर्ट (पीएसी), फाप, फास-एम ,विधि कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, प्रशासन-13, प्रशासन-14, ए.एम.जी-I (मुख्यालय), ए.एम.जी-द्वितीय (मुख्यालय), ए.एम.जी-III (मुख्यालय), ए.एम.जी-IV (मुख्यालय), ए.एम.जी-V (मुख्यालय), आईटीए एवं आई.एस. विंग |

9. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 इन्ट्रानेट/इन्टरनेट संबंधी कार्य हेतु ।

10. सूचना पटल ।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-**11**